an>

Title: Issue regarding examination pattern for All India Institute of Medical Sciences (AIIMS).

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : महोदय, मैं देश के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान के में विषय में बात करना चाहता हूं, इसलिए आपका संरक्षण चाहता हूं।

महोदय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स के नाम से पूरे देश में सात-आठ इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी प्रवेश परीक्षा में कुल 672 सीट्स हैं, जिनके लिए लगभग पांच लाख प्रतियोगी हर साल परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। मैंने पिछले साल जुलाई के महीने में माननीय चिकित्सा मंत्री जी को पत्र लिखा था कि इस परीक्षा की पद्धति में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए क्योंकि इस परीक्षा का न तो प्रश्न पत्र प्रतियोगी को दिया जाता है, न उसकी आंसर-की दी जाती है, जिससे उसको पता नहीं चलता है कि मैं किस तरह की परफार्मेंस करके आया हूं। उस पत्र के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा विभाग एवं इसकी गवर्निंग काउंसिल ने जो निर्णय लिया है, उसके बाद परीक्षा की नई पद्धति लागू की गयी है, जिसमें दो स्लॉट्स में परीक्षा होगी, जिसमें न तो उसे परीक्षा पत्र मिलेगा, न उसको आंसर-की मिलेगी और उसका परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड भी वहां जमा हो जाएगा। राजस्थान के पहले अलग-अलग स्लाट्स में इस तरह की परीक्षा 2014 में हुई थी, जो विवाद का विषय बन गई। कई लोग हाई कोर्ट में गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उस परीक्षा को खारिज कर दिया और उस कारण दोबारा परीक्षा करानी पड़ी। क्योंकि एम्स हमारा फ्लैगशिप संस्थान है, यह विवाद में न आए और परीक्षा खारिज न करनी पड़े इसलिए परीक्षा की इस पद्धति पर पुनर्विचार करना चाहिए।